न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 19/2012 तारीख रजू 30/10/12

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. अनूप कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन, जाति जैन (महाजन) (विक्रेता)–फर्म–बाबूलाल पवनकुमार, बांगड धर्मशाला, मैन मार्केट, बजरिया सवाईमाधोपुर निवासी म0नं0 41, प्रेममंदिर कॉलोनी, सवाई माधोपुर।
2. बाबूलाल जैन पुत्र दुलीचन्द जैन जाति जैन (महाजन) (प्रोपराईटर)–फर्म–बाबूलाल पवनकुमार, बांगड धर्मशाला, मैन मार्केट, बजरिया सवाईमाधोपुर निवासी म0नं0 41, प्रेममंदिर कॉलोनी, सवाई माधोपुर।
3. धर्मपाल केशनानी पुत्र मुरलीधर केशनानी जाति सिन्धी, भागीदार–फर्म–अशोका एजेन्सीज, 2, दूनी हाउस, फिल्म कॉलोनी, जयपुर (राज0)–302003 निवासी 258, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर (राज0)।
4. विनोद केशनानी पुत्र धर्मपाल केशनानी जाति सिन्धी, भागीदार–फर्म–अशोका एजेन्सीज, 2, दूनी हाउस, फिल्म कॉलोनी, जयपुर (राज0)–302003 निवासी 258, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर (राज0)।
5. अशोक कुमार माथुर पुत्र जी.एल. माथुर डिपो इन्चार्ज एवं नोमिनी फर्म–गुजरात को–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, 44–ए, केशव पथ, सूरजनगर (पश्चिम) सिविल लाईन्स, जयपुर (राज0) निवासी सी–92, मालवीय नगर जयपुर (राज0)।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत नियम 3.1.1 (3) एफएसएस एक्ट नियम 2011 एवं अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 अन्तर्गत धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 27/12/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:40 IST
Reason: SelfAttested

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन [illegible] (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत [illegible] अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा [illegible] मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत [illegible] दिनांक [illegible]2012 को समय 04.00 पी.एम. पर दौराने गश्त फर्म– बाबूलाल प[illegible]मार, बांगड धर्मशाला, [illegible]र्केट, बजरिया सवाईमाधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां निरीक्षण के समय अनूप कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन मौजूद मिला जो आम जनता को खाद्य पदार्थों की बिक्री करता है को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। पूछने पर अनूप कुमार जैन ने अपने पिता

न्याय निर्णयन अधिकारी ए[illegible]
अतिरिक्त [illegible] मजिस्ट्रेट

बाबूलाल जैन को फर्म का प्रोपराईटर/मालिक होना बताया। आवेदक ने अनूप कुमार जैन से वर्ष 2012 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स दिखाने को कहा तो उसने खाद्यपदार्थ लाईसेन्स रसीद क्रमांक 12212038000096 दिनांक 12.03.2012 दिखाया। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक के 12 पैकिट एक डीप फ्रीजर में आम जनता के लिए विक्रय हेतु रखे हुए थे, का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता अनूप कुमार जैन से उस मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक के 12 पैकिटों में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने को कहा तथा विक्रेता को नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। निरीक्षण के समय डीप फ्रीजर में रखे हुए मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक के 12 पैकिटों में से आठ पैकिट शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदे तथा उनकी कीमत बाजार भाव से 384 रूपये अक्षरे तीन सौ चौरासी रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता ने उक्त नमूने के मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का खरीद बिल क्रमांक 4345 दिनांक 01.05.2012 जो फर्म–अशोका एजेन्सीज, 2, दूनी हाऊस, फिल्म कॉलोनी, जयपुर द्वारा जारी किया गया था उपलब्ध कराया तथा बताया कि उसने यह मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक उक्त फर्म से क्रय किया है। उपरोक्त खरीदशुदा मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक के आठो सील्ड पैकिटों को खोलकर पनीर को चार साफ, सूखी व खाली कॉच की शीशीयों में एक्ट अनुसार निर्धारित मात्रा में बराबर–बराबर डालकर भरा व प्रत्येक शीशी में 20 बूंद फार्मेलीन प्रिजरवेटिव के रूप में डाली तथा ढक्कन बन्द किया तथा चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर आवेदक ने स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर शीशीयों को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर शीशीयों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एंव हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **एच–214** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपका कर एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारो शीशीयों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द शीशीयों को अपने कब्जे में लिया तथा मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर, सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री पुरूषोतम लाल वार्ड बॉय कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गंगापुरसिटी के द्वारा दिनांक 21.05.2012 को खाद्य विश्लेषक कोटा (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी नमूना जमा रसीद व फार्म नम्बर 6 की प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुस्त पर प्राप्त की। बाकी बचे नूमने की दो सील बंद शीशी (i व ii पार्ट) व [illegible] को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नंमूने की शेष एक सील [illegible] शीशी (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील [illegible] हर कर आवेदक के द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) [illegible] जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय आकर नमूना लेते समय विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल क्रमांक 4345 दिनांक 01.05.2012 के अनुसार फर्म–अशोका एजेन्सीज, 2, दूनी हाऊस, फिल्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी ए
तिरिक्त जिला म
सवाई माधोपुर

कॉलोनी, जयपुर के प्रोपराईटर/भागीदार/मैनेजर को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए, पत्रांक 30 दिनांक 19.05.2012 द्वारा भिजवाई गई।

आवेदक को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक एफएसएसए/2012/1509 दिनांक 07.06.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या एल.एस./232/एक्ट/2012/623 दिनांक 31.05.2012 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया।

फर्म–अशोका एजेन्सीज, 2 दूनी, हाऊस, फिल्म कॉलोनी, जयपुर के प्रोपराईटर/भागीदार/मैनेजर ने अपने पत्र दिनांक 21.06.2012 द्वारा माल खरीद बिल जो फर्म–गुजरात को–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, 44–ए, केशव पथ, सूरजनगर (पश्चिम) सिविल लाईन्स, जयपुर (राज0) द्वारा जारी किया गया उपलब्ध कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने पत्र कमांक एफएसएसए/पी.सी.जे./2012/33 दिनांक 26.07.2012, 76 दिनांक 27.08.2012 व 80 दिनांक 07.09.2012 द्वारा फर्म–गुजराज को–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, 44–ए, केशव पथ, सूरजनगर (पश्चिम) सिविल लाईन्स, जयपुर के प्रोपराईटर/भागीदार/नोमिनी को माल खरीद बिल एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत पत्र लिखे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने रजिस्टर्ड पत्र कमांक एफएसएसए/पी.सी.जे./2012/74 दिनांक 07.08.2012 द्वारा वाणिज्यिक अधिकारी, जयपुर ii–स्पेशल वाणिज्यिक कर भवन, जयपुर को फर्म–गुजराज को–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, 44–ए, केशव पथ, सूरजनगर (पश्चिम) सिविल लाईन्स, जयपुर के प्रोपराईटर/भागीदार/नोमिनी के नाम व पते उपलब्ध करवाने बाबत पत्र लिखे।

फर्म–गुजराज को–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, 44–ए, केशव पथ, सूरजनगर (पश्चिम) सिविल लाईन्स, जयपुर के ब्रांच मैनेजर अशोक कुमार माथुर ने अपने पत्रांक 702 दिनांक 10.09.2012 द्वारा फर्म के नोमिनी के नाम व पते व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराये।

अतः प्रकरण में निर्माता व विकेताओ ने सबस्टण्डर्ड एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का निर्माण व विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभि[illegible] हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:40 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी [illegible] न्याय निर्णयन [illegible] पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि [illegible] सब स्टेण्डर्ड एवं मिथ्याछाप खाद्य प्रकृति के मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का निर्माण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है एवं सब स्टेण्डर्ड एवं मिथ्याछाप खाद्य

निर्णयन अधिकारी
जिला मजि
सवाई माधोपुर

प्रकृति के मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का निर्माण एवं विक्रय करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस में निम्नानुसार तर्क दिया गयाः—

1. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का सेम्पल लिया गया था जोकि खाद्य विश्लेषक कोटा की रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्र्ड एवं मिथ्याछाप पाया गया था जबकि अभियुक्त सं0 1 व 2 के द्वारा सील्ड पैक अवस्था में दिया गया था तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसे काटकर बोतलो में भरा गया था जिससे काटते समय अथवा भरते समय या बोतले जिनमें नमूना भरा गया है, के कारण मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक सबस्टेण्र्ड एवं मिथ्याछाप हुआ है। इसमें अभियुक्त सं0 1 लगायत 5 की कोई गलती नहीं है।
2. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माणकर्ता कम्पनी को अभियुक्त नहीं बनाया है जबकि निर्माणकर्ता कम्पनी द्वारा ही मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का निर्माण किया गया है जिसे अभियुक्तगण द्वारा पैकशुदा अवस्था में ही केवल विक्रय किया है।

बहस के अन्त में अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रकरण खारिज कर अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएसएल/कोटा/2012/623 दिनांक 31.05.2012 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक सबस्टेण्डर्ड एवं मिथ्याछाप (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक कोटा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूने में (Nacl) नमक 2.8% पाया गया जो कि रिपोर्ट अनुसार निषेध है। साथ ही जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक पर अंकित ग्रीन सिंबल ब्राण्डनेम के पास नहीं है जो कि नियम 2.2.2.4 का, एलु.फॉइल पाउच का उल्लेख नहीं किया गया है, नियमों के अनुसार घोषणा केवल गत्ता पैक (रैपर) पर की जाती है, जो कि नियम 2.3.1.4, 2.2.1.6 का उल्लंघन है तथा खाद्य पदार्थ में दूध से निर्मित दो पदार्थ मलाई एवं पनीर के नाम का उपयोग किया गया है जो पैकेजिंग एण्ड लेवलिंग नियम के नियम 2.3.1.2 का उल्लंघन है। अभियुक्त का जरिये अधिवक्ता यह तर्क कि '' खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का सेम्पल लिया गया था जोकि खाद्य विश्लेषक कोटा की रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्र्ड एवं मिथ्याछाप पाया गया था जबकि अभियुक्त सं0 1 व 2 के द्वारा सील्ड पैक अवस्था में दिया गया था तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसे काटकर बोतलो में भरा गया था जिससे काटते समय अथवा भरते समय या बोतले जिनमें नमूना भरा गया है, के कारण मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक सबस्टेण्र्ड एवं मिथ्याछाप हुआ है। इसमें अभियुक्त सं0 1 लगायत 5 की कोई गलती नहीं है। '' नाकाबिले सिद्ध है क्योंकि प्रकरण में उत्पाद का [illegible] उत्पाद के पैक पर उक्तानुसार घोषित घोषणा नहीं करने के कारण **मिथ्याछाप** तथा [illegible] नमक (निषेध) पाये जाने के कारण **सबस्टेण्डर्ड** पाया गया जिसका उत्पाद [illegible] भरने से कोई संबंध नहीं है जहां तक बोतल में भरते समय बोतल में पूर्व से ही किसी [illegible] मिलाने की प्रश्न है तो वह भी मान्य नहीं है क्योंकि आवेदन के अवलोकन [illegible] बयान गवाह आदि का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि बोतल में मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक के 8 पैकेट को डालने के उपरान्त उसमें फार्मेलीन प्रिजरवेटिव की 20 बूंद प्रति बोतल मिलाई गई है जोकि विक्रेता एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:40 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

गवाहान के सम्मुख कार्यवाही की गई है तथा उक्त फार्म पर गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। अभियुक्त का जरिये अधिवक्ता यह कथन कि ''खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माणकर्ता कम्पनी को अभियुक्त नहीं बनाया है जबकि निर्माणकर्ता कम्पनी द्वारा ही मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का निर्माण किया गया है जिसे अभियुक्तगण द्वारा पैकशुदा अवस्था में ही केवल विक्रय किया है।'' भी मान्य नहीं है क्योंकि निर्माता कम्पनी गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर की ओर से अशोक कुमार माथुर को कम्पनी का नोमिनी घोषित किया गया है जिसे आवेदक ने अभियुक्त सं0 5 बनाया गया है। इस प्रकार मेरी राय में अभियुक्तगण सबस्टेण्डर्ड एवं मिथ्याछाप वाले उत्पाद मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक के निर्माण एवं विक्रय के दोषी पाये जाते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं मिथ्याछाप (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम पैक का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक पर **पांच–पांच हजार रूपये** की एवं अभियुक्त संख्या 5 पर **तीस हजार रूपये** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:40 IST
Reason: SelfAttested